

#### असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] No. 172] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2017/फाल्गुन 18, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2017/PHALGUNA 18, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 9 मार्च, 2017

सं.फेमा. 387/2017-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा

प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2017

सा.का.नि. 224 (अ).-विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2017 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

## 2. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000, (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, विनियम 2 में,

1317 GI/2017 (1)

i. उप-विनियम (ii डीडी) के बाद और मौजूदा उप-विनियम (ii ई) से पहले निम्नलिखित उप-विनियम अंतर्विष्ट किया जाएगा:

# "(ii E) ई-कामर्स:

- ए. 'ई-कामर्स' का अभिप्राय डिजिटल और इलेक्ट्रानिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पाद सहित माल और सेवाओं की खरीद और बिक्री से है।
- बी. 'ई-कामर्स एंटिटी' का अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित कंपनी अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(42) के अंतर्गत आने वाली विदेशी कंपनी अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2(v)(iii) में यथा उपबंधित भारत में कोई कार्यालय अथवा शाखा अथवा एजेंसी से है जो भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित है और ई-कामर्स का कारोबार करती/करता है।
- सी. 'ई-कामर्स के इन्वेंटरी आधारित माडल' का अभिप्राय उस 'ई-कामर्स' गतिविधि से है जहां माल की इन्वेंटरी और सेवाएं 'ई-कामर्स एंटिटी' द्वारा स्वाधिकृत हैं तथा उपभोक्तओं को सीधे बेची जाती हैं।
- डी. 'ई-कामर्स के मार्केट प्लेस आधारित माडल' का अभिप्राय क्रेता और बिक्रेता के बीच सहूलियतकर्ता की भूमिका अदा करने के लिए किसी 'ई-कामर्स एंटिटी' द्वारा डिजिटल और इलेक्ट्रानिक नेटवर्क पर सुचना प्रोद्योगिकी प्लेटफार्म उपलब्ध कराने से है।"

## 3. अनुसूची 1 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000, (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, अनुसूची 1 में, मौजूदा अनुबंध (Annex) 'बी' की वर्तमान मद सं. 16.2 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:

16.2	ई-कामर्स	ईक्विटी/एफडीआई कैप का %	प्रवेश मार्ग
		·	(Entry Route)
16.2.1	बी टू बी ई-कामर्स गतिविधियां	100%	स्वचालित
	ऐसी कंपनियां केवल बिजनेस टू बिजनेस	(B2B) ई-कामर्स कारोबार करेंगी और फुटब्	कर व्यापार (retail trading) में संलग्न
	नहीं होंगी, इसका तात्पर्य, अन्य बातों के साथ-साथ, यह है कि घरेलू व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर लगे प्रतिबंध		
	उसी प्रकार ई-कामर्स पर लागू होंगे।		
16.2.2	ई-कामर्स का मार्केट प्लेस माडल'	100%	स्वचालित
16.2.3	अन्य शर्तें		
	ए) डिजिटल और इलेक्ट्रानिक नेटवर्क में व	फंप्यूटर नेटवर्क्स, टेलीविज़न चैनल्स और वेब्	। पेजेस, एक्स्ट्रानेट्स, मोबाइल्स, आदि
	जैसे स्वचालित रूप में प्रयुक्त होने वाले अन्य इंटरनेट एप्लीकेशन शामिल होंगे।		
	बी) मार्केट प्लेस ई-कामर्स एंटिटी को अपने प्लेटफार्म पर रजिस्टर्ड बिक्रेताओं के साथ बी-टू-बी आधार पर लेनदेन करने की		
	अनुमित होगी।		
	सी) ई-कामर्स मार्केट प्लेस बिक्रेताओं को वेयरहाउसिंग, लाजिस्टिक्स, आर्डर पूरा करने, काल सेंटर, भुगतान वसूली और अन्य		
	सेवाओं के लिए पूरक (सपोर्ट) सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं।		
	,	नमर्स एंटिटी इन्वेंटरी अर्थात बिक्री किए जार्	9
	स्वत्वाधिकार का प्रयोग नहीं करेगी। इन्वेंटरी पर इस प्रकार स्वत्वाधिकार का प्रयोग करने से कारोबार इन्वेंटरी आधारित माडल में तब्दील हो जाएगा।		
	,	स से एक वेंडर अथवा अपनी समूह कंपनिय	ों के मार्फत वित्तीय वर्ष के आधार पर
	25% से अधिक की बिक्री होने की अनुमति		
	एफ) वेबसाइट पर इलेक्ट्रानिकली बिक्री के	लिए माल/सेवाओं को उपलब्ध कराते समय	बिक्रेता का नाम, पता और अन्य संपर्क
	संबंधी ब्योरे स्पष्टत: दिए जाने चाहिए। बिक्री के बाद, ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी एवं ग्राहक संतुष्टि के लिए बिक्रेता जिम्मेदार		
	होगा।		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-कामर्स एंटिटी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के	
	एच) बेचे गए माल/बेची गई वस्तुओं और सेवाओं की वारंटी/गारंटी के लिए बिक्रेता जिम्मेदार होगा।		
	आई) मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने वाली ई-कामर्स एंटिटीज़ माल अथवा सेवाओं के बिक्रय मूल्य को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप		
	में प्रभावित नहीं करेंगी तथा कारोबार करने		
	जि) ऊपर उल्लिखित क्रमाक 16.1.2 में कारोबार/गतिविधियों पर लागू होंगे।	दिए गए कैश ऐंड कैरी थोक ट्रेडिंग पर	लागू ादशानिदश बा टू बा ई-कामसे
	काराबार/गातावाधया पर लागू होगा		

	नोट: इन्वेंटरी आधारित ई-कामर्स के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति नहीं है।
16.2.4	सेक्टर विशेष संबंधी शर्तों, लागू विधियों/विनियमों, सिक्युरिटी एवं अन्य शर्तों के तहत ई-कामर्स के जरिए सेवाओं की बिक्री
	स्वचालित मार्ग के अंतर्गत होगी।

[ फा. सं. 1/23/ईएम/2016 (पार्ट)] शेखर भटनागर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद-टिप्पणी :-मूल विनियमावली 8 मई 2000 को सा.का.नि. सं.406 (अ) भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001	सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001	सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001	सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002	सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002	सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003	सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013
सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003	सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003	सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004	सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004	सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013
सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004	सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013
सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004	सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004	सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005	सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005	सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005	सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013
सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005	सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013
सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005	सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005	सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006	सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006	सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007	सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007	सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007	सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008	सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008	सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009	सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010	सा.का.नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014
सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012	सा.का.नि. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014
सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012	सा.का.नि. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014

सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014	सा.का.नि.  सं. 165(अ) दिनांक 15.02.2016
सा.का.नि.  सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014	सा.का.नि.  सं. 166(अ) दिनांक 15.02.2016
सा.का.नि.  सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014	सा.का.नि.  सं. 369(अ) दिनांक 30.03.2016
सा.का.नि. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014	सा.का.नि. सं. 465(अ) दिनांक 28.04.2016
सा.का.नि. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014	सा.का.नि.  सं. 537(अ) दिनांक 20.05.2016
सा.का.नि. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015	सा.का.नि.  सं. 879(अ) दिनांक 09.09.2016
सा.का.नि.  सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015	सा.का.नि.  सं. 1002(अ) दिनांक 24.10.2016
सा.का.नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015	सा.का.नि. सं. 1003(अ) दिनांक 24.10.2016
सा.का.नि.  सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015	सा.का.नि.  सं. 1015(अ) दिनांक 27.10.2016
सा.का.नि.  सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015	सा.का.नि.  सं. 1042(अ) दिनांक 04.11.2016
सा.का.नि.  सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015	सा.का.नि.  सं. 1118(अ) दिनांक 07.12.2016
सा.का.नि. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015	सा.का.नि.  सं. 16(अ) दिनांक 10.01.2017
सा.का.नि.  सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015	सा.का.नि.  सं. 17(अ) दिनांक 10.01.2017
सा.का.नि.  सं. 983(अ) दिनांक 17.12.2015	

#### RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 9th March, 2017

### No. FEMA.387/2017-RB

## Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Fourth Amendment) Regulations, 2017

**G.S.R. 224 (E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:-

### 1. Short Title & Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Fourth Amendment) Regulations, 2017.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

### 2. Amendment of the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Regulations 2,

- i. after the sub-regulation (ii dd) and before the existing sub-regulation (ii e), the following sub-regulations shall be inserted:
  - "(ii E) E-commerce:
    - a. 'E-commerce' means buying and selling of goods and services including digital products over digital & electronic network.
    - b. 'E-commerce entity' means a company incorporated under the Companies Act, 1956 or the Companies Act, 2013 or a foreign company covered under section 2 (42) of the Companies Act, 2013 or an office, branch or agency in India as provided in Section 2 (v) (iii) of FEMA 1999, owned or controlled by a person resident outside India and conducting the e-commerce business.

- c. 'Inventory based model of e-commerce' means an e-commerce activity where inventory of goods and services is owned by e-commerce entity and is sold to the consumers directly.
- d. 'Market place model of e-commerce' means providing of an information technology platform by an e-commerce entity on a digital & electronic network to act as a facilitator between buyer and seller."

### 3. Amendment of Schedule 1

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Schedule 1, in the existing Annex B, the existing entry 16.2 shall be substituted by the following:

16.2	E-Commerce	% of equity/FDI Cap	Entry route
16.2.1	B2B E-commerce activities	100 %	Automatic
16.2.2	Such companies would engage only in Businter alia implying that existing restrictions as well.  Market place model of e-commerce		
16.2.3	Other Conditions		
	<ul> <li>a) Digital &amp; electronic network will include network of computers, television channels and any other internet application used in automated manner such as web pages, extranets, mobiles etc.</li> <li>b) Marketplace e-commerce entity will be permitted to enter into transactions with sellers registered on its platform on B2B basis.</li> <li>c) E-commerce marketplace may provide support services to sellers in respect of warehousing, logistics, order fulfilment, call centre, payment collection and other services.</li> <li>d) E-commerce entity providing a marketplace will not exercise ownership over the inventory i.e. goods purported to be sold. Such an ownership over the inventory will render the business into inventory based model.</li> <li>e) An e-commerce entity will not permit more than 25% of the sales value on financial year basis affected through its marketplace from one vendor or their group companies.</li> <li>f) Goods/services made available for sale electronically on website should clearly provide name, address and other contact details of the seller. Post sales, delivery of goods to the customers and customer satisfaction will be responsibility of the seller.</li> </ul>		
	g) Payments for sale may be facilitated by Reserve Bank of India.	•	
	h) Any warranty /guarantee of goods and i) E-commerce entities providing market goods or services and shall maintain le	place will not directly or indir	
	j) Guidelines on cash and carry wholesal B2B e-commerce activities.	e trading as given in S.No. 16.	1.2 (stated above) shall apply to
	Note: FDI is not permitted in inventory based model of e-commerce.		
16.2.4	Sale of services through e-commerce shall be under automatic route subject to the sector specific conditions, applicable laws/regulations, security and other conditionalities.		

[F. No. 1/23/EM/2016 (Part)] SHEKHAR BHATNAGAR, Chief General Manager-in-Charge

## Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004

G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R.No.190(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No.270(E) dated 07.04.2014
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No.370(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No.371(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R.No. 435 (E) dated 08.07.2014
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R.No. 400 (E) dated 12.06.2014
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R.No. 436 (E) dated 08.07.2014
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R.No. 487 (E) dated 11.07.2014
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No. 632 (E) dated 02.09.2014
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No. 798 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007	G.S.R.No. 799 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008	G.S.R.No. 800 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008	G.S.R.No. 829 (E) dated 21.11.2014
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009	G.S.R.No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010	G.S.R.No. 914 (E) dated 24.12.2014
G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012	G.S.R.No. 30 (E) dated 14.01.2015
G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012	G.S.R.No. 183 (E) dated 12.03.2015
G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012	G.S.R.No. 284 (E) dated 13.04.2015
G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012	G.S.R.No. 484 (E) dated 11.06.2015
G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012	G.S.R.No. 745 (E) dated 30.09.2015
G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012	G.S.R.No. 759 (E) dated 06.10.2015
G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012	G.S.R.No. 823 (E) dated 30.10.2015
G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013	G.S.R.No. 858 (E) dated 16.11.2015
G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013	G.S.R.No. 983 (E) dated 17.12.2015
G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013	G.S.R.No. 165 (E) dated 15.02.2016
G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013	G.S.R.No. 166 (E) dated 15.02.2016
G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013	G.S.R.No. 369 (E) dated 30.03.2016
G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013	G.S.R.No. 465 (E) dated 28.04.2016
G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013	G.S.R.No. 537 (E) dated 20.05.2016
G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013	G.S.R.No. 879 (E) dated 09.09.2016
G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013	G.S.R.No. 1002 (E) dated 24.10.2016
G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013	G.S.R.No. 1003 (E) dated 24.10.2016
G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013	G.S.R.No. 1015 (E) dated 27.10.2016
G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013	G.S.R.No. 1042 (E) dated 04.11.2016
G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013	G.S.R.No 1118 (E) dated 07.12.2016
G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013	G.S.R.No 16 (E) dated 10.01.2017
G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013	G.S.R.No 17 (E) dated 10.01.2017
G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014	